<u>उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

<u>रिट याचिका (एम/एस) नं. 754/2021</u>

शभूं दयाल शाह ....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य ....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरेंद्र बेलवाल

उत्तराखण्ड राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री राकेश कुंवर

<u>माननीय शरद कुमार शर्मा, न्यायाधीश (मौखिक)</u>

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, कि याचिकाकर्ता रिट याचिका में यह तर्क दिया है कि सरकारी आदेशों के प्रावधानों के दृष्टिगत, वह ''शैलेश मटियानी राज्य शिक्षा पुरस्कार–2018'' का राज्य पुरस्कृत था। उस स्थिति में, उसे राज्य पुरस्कृत होने के कारण सेवा में दो वर्ष की अवधि के लिए सेवा विस्तार दिया जाना चाहिए, जैसा कि उक्त सरकारी आदेश में विचार किया गया है। लेकिन, दो साल के लिए सेवा अवधि के विस्तार के लिए, इसे प्रतिवादी सख्ंया–02 द्वारा पारित आपेक्षित आदेश दिनांक 21.01.2021 द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसे बाद में प्रतिवादी संख्या 03 के द्वारा पारित निर्णय 22.01.2021 के द्वारा पुष्टि की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षो के लिए सेवाओं में विस्तार से इंनकार कर दिया गया था।

2. विवाद को अन्य दृष्टिकोण से देखे, फिर वर्तमान रिट याचिका में क्या तर्क दिया गया है और क्या दलील दी गई है। यह न्यायालय जिस विषय पर विचार करना चाहता है, वह यह है कि '' जहाँ शिक्षाविदों से जुड़ा कोई व्यक्ति अर्थात किसी सरंस्थान मे शिक्षक है, यदि वह सेवानिवृति कि आयु प्राप्त कर लेता है, और शैक्षणिक सत्र के अन्त तक सेवा के लिए फिर से नियुक्त किया जाता है, तो क्या सेवा निवृति की आयु प्राप्त करने के बाद, पुनर्नियुक्ति के बाद विस्तारित सेवाओं की इस अवधि को पिछली सेवा की निरंतरता के रूप में माना जा सकता है, दो साल की सेवाओं का लाभ बढाया जा सकता है, जैसा कि सरकारी आदेशों के अन्तर्गत प्रदान किया गया है, या इसे फिर से नियुक्त माना जाएगा''।

3. वर्तमान मामले में तथ्य इस प्रकार है कि, याचिकाकर्ता एक मामला लेकर आया है, कि उसे प्रारम्भ में 02.12.1991 को सहायक शिक्षक (सी0टी0ग्रेड) के रूप में प्रतिवादी विभाग में नियुक्त किया गया था, लेकिन संतोषजनक सेवा प्रदान करने के अपने स्वंय के मूल्यांकन के कारण, और खुद को ''शैलेश मटियानी राज्य शिक्षा पुरस्कार 2018'' से सम्मानित होने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार और आकांक्षी होने का दावा किया गया था, जिसे करने पर विचार किया गया है। सचिव, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून द्वारा निदेशक, विद्यालय शिक्षा, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून को जारी सरकारी आदेश सख्ंया 329/XXIV-2/10-9(11)/2008 दिनांकित 08.04.2011 के अनुसार प्रदान किया गया।

4. सत्र लाभ केवल उन व्यक्तियों अथवा कर्मचारियों के सम्बन्ध मे बढाया जाना था जो मध्य सत्र में सेवानिवृत्त हुए थे, और उक्त सरकारी आदेश के क्रम में सेवा विस्तार की व्यवस्था उस तिथि से लागू की जानी थी, जब राज्य सरकार वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत प्रदान की गई, नियमावली के तहत् आवष्यक संशोधन करती है। तद्नुसार, याचिकाकर्ता को 30.11.2020 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद, शैक्षणिक वर्ष 2020–2021 के लिए शैक्षणिक सत्र का लाभ दिया गया था। सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद, की गई ''पुनर्नियुक्ति'', जिससे शैक्षणिक सत्र के अन्त तक सेवाओं का विस्तार किया जाता है, का पूरी तरह से एक अलग विधायी इरादा और उद्देष्य है। शैक्षणिक सत्र के अन्त तक सेवाओं के विस्तार का इरादा और उद्देष्य यह है कि आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी शिक्षक के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के कारण छात्र की शिक्षा प्रभावित न हो। वास्तव में, इसमें विचार की गयी सेवाओं का विस्तार केवल ''शैक्षणिक उद्देष्यो'' को पूरा करने के लिये है, न कि किसी शिक्षक के ''व्यक्तिगत उद्देष्य''को पूरा करने के लिए है, क्योंकि दिया गया कोई भी विस्तार, पुनर्नियुक्ति के माध्यम से होता है, न कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद, सेवाओं की निरंतरता के माध्यम से। अतः कार्यालय आदेश सख्ंया 01/898, दिनांक 23.11.2020, का मूल उद्देष्य यााचिकाकर्ता को शैक्षणिक सत्र का लाभ उस अवधि की सेवाओं को जारी रखने के लिए याचिकाकर्ता को पुनर्नियुक्ति प्रदान करना था, जो वह पहले से कर चुका है। यह सुनिष्चित करने के लिए है कि किसी विशेष विषय को पढ़ाने में लगे शिक्षक के परिवर्तन या अनुपलब्धता के कारण छात्र का शैक्षिक सत्र प्रभावित ना हो।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि, याचिकाकर्ता के नाम पर प्रतिवादी राज्य द्वारा वर्ष 2018 के लिए ''शैलेश मटियानी राज्य शिक्षा पुरस्कार'' देने के लिए विचार किया गया था, और उनका नाम उन शिक्षकों की सूची में शामिल था, जिन्हें उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए सम्मानित किये जाने पर विचार किए जाने की संभावना थी, क्योंकि उनका नाम क्र.स.–09 पर दिखाया गया है, जैसा कि सरकारी आदेश सख्ंया XXIV-4/2020-10(17)2014, दिनांक 29.12.2020 से स्पष्ट होगा। इसके बहुत बाद यह पुरस्कार याचिकाकर्ता के पक्ष में केवल 29.12.2020 को दिया गया था, याचिकाकर्ता का तर्क है कि, उसने बाद में 04.01.2021 को दो साल के लिए सेवाओं के विस्तार के अनुदान के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जो अन्यथा पुरस्कार विजेताओं को सरकारी आदेश की शर्तो के अन्तर्गत दिया जाना आवश्यक है, जैसा कि दिनांक 09.08.2005 और 22.08.2007 के सरकारी आदेशों में प्रदान किया

गया है। उक्त याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2021 को उसके विपरीत यह कहते हुए निर्णय लिया

गया है, कि चँकि जिस समय याचिकाकर्ता को पुरस्कार दिया गया था, यानि दिनांक 29.12.2020 को, वह सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद विस्तारित शैक्षणिक सत्र के लाभ के अनुदान पर पुननियुक्ति के अन्तर्गत काम कर रहा था, इसे सेवाओं की निंरतरता नहीं माना जाएगा, और इसलिये आपेक्षित आदेश के आधार पर, जो कि वर्तमान रिट याचिका में चुनौती के अनुसार, याचिकाकर्ता को लाभ देने से इन्कार करना सही था।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट याचिका डबलू.पी.एम.एस. सं. 768/2020, ''रोहिताश्रृ कुँवर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य'' में दिये गए निर्णय पर भरोसा जताया है, जहाँ लगभग ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहाँ राज्य पुरस्कार विजेताओं को दो साल की सेवाओं के विस्तार का अनुदान अस्वीकार कर दिया गया था, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 25.01.2021 को दिए गए निर्णय द्वारा, सेवाओं की विस्तारित अवधि को माना है। सरकारी आदेश के अर्न्तगत लाभ के विस्तार के प्रयोजनों के लिये सेवाओं की निंरतरता के रूप में सेवाओ को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि, जैसे कि न्यायालय को सूचित किया गया है, समन्वय पीठ के उक्त निर्णय को खण्ड पीठ द्वारा विशेष अपील में स्थगित रखा गया है, जो राज्य द्वारा दायर की गई है जो वर्तमान में विचाराधीन है। इस न्यायालय का मत है, कि कुछ निर्विवाद तथ्यों के कारण, जो इस प्रकार है :—

अ— याचिकाकर्ता 04.01.2020 को सेवानिवृत्त हो गया।

ब— माना जाता है, कि याचिकाकर्त्ता को 29.12.2020 यानि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद पुरस्कार दिया गया था।

स— चूँकि उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये प्रासंगिक नियम व विनियमों के अन्तर्गत सेवा विस्तार, सेवाओं की निंरतरता नहीं है, अपितु पुननियुक्ति है।

7. इस न्यायालय का मत है कि, सरकारी आदेश दिनांक 29.08.2005 और 22.08. 2007 के अन्तर्गत, पुननियुक्ति अवधि को लाभ बढाने के प्रयोजनों के लिये सेवाओं की निंरतरता की अवधि के रूप में नहीं माना जा सकता है, इस प्रकार, यदि आवेदन, जिसे प्रतिवादी मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, पर विचार किया जाता है, तो वास्तव में, विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा किऐ गए पत्राचार का उत्तर देते समय अतिरिक्त निदेशक द्वारा इसे सही माना गया है। इस दृष्टिकोण में, कि याचिकाकर्त्ता दो साल की सेवा विस्तार का हकदार नहीं होगा, केवल इस तथ्य के कारण कि याचिकाकर्ता एक राज्य पुरस्कार विजेता था, और आगे इस तथ्य के आधार पर राय दी गई है कि सरकारी आदेश सं. 320/XXIV—2/2007, दिनांक 22.08. 2007 के अनुच्छेद संख्या—02 में, जो दो वर्ष की अवधि के लिये सेवा विस्तार पर विचार करता है, केवल उन शिक्षकों के सम्बन्ध में आकर्षित करने के लिये लागू किया गया है, जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। इसलिये, निदेशक, विद्यालय शिक्षा द्वारा इस लाभ से इन्कार करने की राय, क्योंकि याचिकाकर्ता पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका

है, और उसकी सेवाओं को 2007 के सरकारी आदेश के अन्तर्गत विस्तारित नहीं माना जा सकता है, सही है और व्यक्त की गयी एक उचित राय है क्योंकि यह सरकारी आदेश दिनांक 22.08.2007 के अनुच्छेद–02 के अनुरूप है।

8. याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि उन्हे ''शैलेश मटियानी राज्य शिक्षा पुरस्कार 2018'' का पुरस्कार विजेता माना जाएगा, क्योंकि इस तथ्य के बाद की विस्तार के बाद उम्मीदवार, याचिकाकर्ता का नाम दिनांक 27.11.2020 को आयोजित बैठक में ''राज्य चयन समिति'' के समक्ष रखा गया था। याचिकाकर्ता जो बताना चाहता है, वह यह है कि वास्तव में ''शैलेश मटियानी राज्य शिक्षा पुरस्कार 2018'' का पुरस्कार विजेता होने के लिये याचिकाकर्ता की पात्रता से सम्बन्धित निर्णय उक्त समिति द्वारा दिनांक 27.11.2020 को लिया गया है। अतः, उसे 27.11.2020 को पुरस्कार दिया गया माना जाएगा, ना कि वास्तविक सरकारी आदेश के अनुसरण में, जिसे इस न्यायालय द्वारा सन्दर्भित किया गया है, कि वास्तव में याचिकाकर्ता को सरकारी आदेश के अनुसरण में पुरस्कार दिया गया था, जो उसकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के पष्चात जारी किया गया था। मेरा विचार है, कि केवल समिति, पुरस्कार के लिए कई उम्मीदवारो की पात्रता के विषय पर निर्णय ले रही है, जो अपने आप में एक निर्णायक निर्ष्कष नहीं निकाल सकती है, कि यह एक वास्तविक पुरस्कार है, जिसे तब तक सौंपा गया है जब तक कि राज्य सरकारी आदेश जारी करके इसे मान्यता नहीं देता है, और इसे सार्वजनिक डोमेन में नहीं डालता है, एक पुरस्कार देने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया और 29.12.2020 के सरकारी आदेश द्वारा एक पुरस्कार को वास्तविक रूप से सौंपने की प्रक्रिया, एक दूसरे से पूर्णतः अलग है और दो अलग–अलग पहलू है। अतः याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि समिति द्वारा ''शैलेश मटियानी राज्य शिक्षा पुरस्कार 2018'' से सम्मानित किए जाने वाले उद्देष्यो के लिए कट–ऑफ के रूप में लिया जाने वाला निर्णय टिकाऊ नही है, क्योंकि समिति का निर्णय व्यावहारिक रूप से तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि राज्य सरकार समिति की सिफारिशो को स्वीकार करते हुये सरकारी आदेश जारी नहीं करती है और पुरस्कार विजेताओं को समाज द्वारा स्वीकार करने के लिए उसे सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं रखते है।

9. वहीं दृष्टिकोण, अपर निदेशक द्वारा व्यक्त किया गया है, लगभग उसी आधार पर, जैसा कि निदेशक, माध्यमिक विद्यालय शिक्षा द्वारा दिया गया है, किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण नहीं है। अतः इस न्यायालय का यह मत है कि एक बार सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद, यदि याचिकाकर्ता शैक्षणिक सत्र के अन्त तक काम करने के लिए दी गई पुनर्नियुक्ति के कारण सेवाओं में जीवित रहता है, तो यह माना जाएगा कि वह व्यापक उद्देष्य को पूरा करने के लिए कार्यकारी और प्रशासनिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप सेवा में था। छात्रो को शैक्षणिक लाभ, और यह कोई व्यक्तिगत अधिकार या लाभ नहीं था, जो सेवा के विस्तार के अनुदान द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में बनाया गया है, इसलिये पुरस्कार के आधार पर दोहरा विस्तार नहीं किया जा सकता है, और इसलिये दिनांक 22.08.2007 के सरकारी आदेश के अन्तर्गत दिए जाने वाले विस्तार के प्रयोजनो के लिए सेवाओं की अवधि, उक्त सरकारी आदेश के अनुच्छेद सख्या–02 द्वारा वर्जित होगी, और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद दिए जाने वाले पुरस्कार को एक पुरस्कार के रूप में नहीं माना जा सकता है, यह तब प्रदान किया गया था जब याचिकाकर्ता सेवा में था, ताकि उसके पक्ष मे दिए गए पुरस्कार के अन्तगर्त उसे सेवाओं का विस्तार प्रदान किया जा सके। अतः इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा निर्धारित अनुपात, वर्तमान मामले की परिस्थितियों में लागू नही होगा, और इस तथ्य के साथ ही खण्ड पीठ के समक्ष चुनौती दिए जाने पर उक्त निर्णय को स्थगित रखा गया है। इसका यह अभिप्राय है, कि यह समन्वय पीठ का उक्त निर्णय है, निलम्बित

स्थिति में है, और जिस तिथि को रिट याचिका पर बहस की गई है, उस तिथि तक यह विधि की दृष्टि में अच्छा नहीं है।

10. उपरोक्त के दृष्टिगत, मेरा मत है, कि सेवाओं के विस्तार के लिए याचिकाकर्ता के दावे को इस बहाने से अस्वीकार करने के आपेक्षित आदेश कि वह एक राज्य पुरस्कार विजेता था, और इसलिये उसकी सेवाओ को बढाया जाना चाहिए, उसे उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि इस

न्यायालय के मत के अनुसार विस्तार केवल उन कर्मचारियों के लिये उपलब्ध है, जो सेवाओं की मूल अवधि के निर्वाह के दौरान पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है, ना कि तब जब वे पुननियुक्ति की विस्तारित अवधि के अन्तगर्त पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हो। शैक्षणिक सत्र समाप्ति का लाभ देते हुए सरकारी आदेश के अनुक्रम में शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। अतः, रिटि याचिका में योग्यता नही है और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा)

न्यायाधीश

23.09.2021